



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, अगरतला

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 01 (एक) पद को भरने के लिए अनारक्षित श्रेणी से संबंधित पात्र उम्मीदवारों से बैंक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पारिश्रमिक एक निश्चित प्रति घंटा दर पर होगा। पात्र उम्मीदवारों से [आवेदन](#) 12 दिसंबर 2025 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001 तक पहुँच जाना चाहिए।

2. पात्रता, नियम एवं शर्तें:

- (i) आवेदकों के पास एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।
- (ii) सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।
- (iii) आवेदकों के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में चिकित्सा का अभ्यास करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- (iv) आवेदकों का डिस्पेंसरी या निवास स्थान बैंक के कार्यालय परिसर से 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
- (v) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में अनुबंध की अवधि के दौरान तय किया जाएगा और इसमें सभी शामिल होंगे।
- (vi) अनुबंध की अवधि तीन (3) वर्ष होगी। अनुबंध पूरा होने पर अनुबंध का कोई नवीनीकरण नहीं होगा।
- (vii) पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:

Sr. No.	Location	Timings / Duty Hours @	Remuneration
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001	15:00 बजे से 17:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)	<p>i. अनुबंध की पूरी अवधि यानी तीन साल के लिए ₹1000/- प्रति घंटा।</p> <p>ii. देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा।</p> <p>iii. ₹1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति।</p>
@ परिवर्तन के अधीन			

(viii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अगर यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप समीचीन हो जाता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को ऊपर वर्णित के अलावा, बदले हुए रूप में उपस्थित होना पड़ सकता है। बैंक की आवश्यकता के मामले में एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाई जा सकती है।

(ix) इच्छुक और पात्र उम्मीदवार [अनुलग्नक- III](#) में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिस पर - "अनुबंध के आधार पर बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन" लिखा हो।

3. चयन प्रक्रिया:

(i) पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। जिन आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है, उनके साथ बैंक कोई पत्राचार नहीं करेगा।

(ii) साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदक/आवेदकों को बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (बीएमसी) के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इन मेडिकल टेस्ट का खर्च आवेदक को वहन करना होगा।

(iii) पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को उनके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और [अनुलग्नक-I](#) के अनुसार नियम और शर्तों और [अनुलग्नक-II](#) के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा।

(iv) चयनित उम्मीदवार को बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति से पहले बैंक के साथ एक समझौता करना होगा जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक होगा।

बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) की सेवाओं की नियुक्ति निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ - अनुबंध की शर्तें और नियम

ए. जिम्मेदारियां / कर्तव्य आदि।

1. आप जैक्सन गेट बिल्डिंग, द्वितीय तल, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001 में स्थित बैंक के कार्यालय परिसर में विज्ञापन के पैरा 2 (vii) में उल्लिखित 15:00 बजे से 17:00 बजे तक ड्यूटी घंटों के साथ उपस्थित होंगे (या आवश्यकतानुसार अधिक अवधि के लिए) अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, इस शर्त के अधीन कि बैंक को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा।

2. आप बैंक के भ्रमणशील कर्मचारियों सहित स्टाफ के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, सहित उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सलाह देंगे, निःशुल्क दवाइयाँ लिखेंगे और निःशुल्क इंजेक्शन लगाएँगे, जो उस समय उपस्थित होंगे (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार समय और/या अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है)। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में किसी भी समय तत्काल मामलों में अनुसूची में निर्धारित दरों पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3. आप उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिन्हें एसआरए/बैंक के पट्टे वाले प्लैटों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करेंगे।

4. आपको भविष्य में जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त हो, उससे इतर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी कि भविष्य में आपके द्वारा अर्जित या धारित योग्यताएं आपको किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सक के लिए अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से न रोके और यदि भारतीय चिकित्सा संघ के किसी भी प्रावधान के अनुसार, आपके द्वारा धारित या धारित योग्यता, सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए बैंक की उपरोक्त अपेक्षाओं के साथ टकराव में आती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में बैंक पर कोई देयता या जिम्मेदारी न आए और आप इसके लिए हर समय बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूर्ति करते रहेंगे।

बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता की होगी, न कि बैंक के एजेंट की।

5. बैंक के कार्यालय परिसर में आपके कर्तव्यों में, ऊपर बताई गई अन्य आवश्यकताओं के अलावा, निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. छोटी और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित बुला सकते हैं।
- ii. बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और जब भी आवश्यकता हो, उचित अस्पतालों में रेफर करना, भले ही ऐसी आवश्यकता आपके सामान्य कार्य घंटों के बाहर उत्पन्न हो।
- iii. सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
- iv. महत्वपूर्ण ट्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपको ही करनी है।

6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर एसआरए/बैंक के पट्टे वाले प्लैटों में रहने वाले बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलना होगा तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आपको जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना होगा तथा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों पर अन्य योग्य चिकित्सकों से हस्ताक्षर करना होगा।

8. आपको अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों से उनके निवास पर मिलने जाना होगा, जब भी उनकी आवश्यकता होगी तथा आप उनसे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। इस प्रकार निर्धारित यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि के प्रशासन के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको कोई अन्य शुल्क नहीं देना चाहिए।

9. जब भी ऐसा करने की आवश्यकता होगी, आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी की स्वास्थ्य और / या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है।

10. आपको बैंक के कर्मचारियों के लिए उपचारात्मक उद्देश्य से आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करने होंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजनी होंगी।

11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर आपको अस्पताल की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने अच्छे संपर्क का प्रयोग करेंगे।

12. आपको महीने में एक बार कार्यालय परिसर का निरीक्षण करना होगा और रिपोर्ट करना होगा कि क्या वे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखे गए हैं।

13. आपको टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाने होंगे और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना होगा।

14. आपको 31 मार्च या/और बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी गई किसी अन्य तिथि को कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

15. आप दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण तथा इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

16. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर दवा के मांगपत्रों पर सलाह देने तथा दवा के स्टॉक-शेष और खपत की प्रति-जांच करने की भी आवश्यकता होगी।

17. आपको चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की उचितता सहित पेशेवर राय देने की आवश्यकता होगी, जब भी वे आपके पास भेजी जाएँ।

18. आपको बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना (बीएमएफएस) और चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना होगा, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आम तौर पर एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक है। कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, बीएमसी को रोगी के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि वह स्थान पर उपलब्ध हो।

19. छुट्टी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, आपको अपने जोखिम और लागत पर योग्यता और अनुभव के संदर्भ में बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

20. आपको बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता का पालन करना होगा जो इसके साथ [अनुलग्नक-II](#) में संलग्न है।

बी. पारिश्रमिक

आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए, तीन साल की संविदा सेवा के लिए पारिश्रमिक ₹1,000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा, बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट छुट्टी या किसी अन्य अनुलाभ/सुविधा के भी हकदार नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर बैंक में उपस्थित होना आवश्यक है, तो ₹1,000/- प्रति घंटा की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा। आय पर कर स्रोत पर ही काटा जाएगा, जैसा लागू हो।

सी. अन्य प्रासंगिक मुद्दे

- i. आप महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।
 - ii. अनुबंध के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।
 - iii. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप होने पर अपने विवेक पर ऊचूटी के घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - iv. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में बैंक कार्य दिवसों के अनुसार ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, घोर कदाचार के मामलों में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है।
 - v. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अगरतला के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
-

बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता, जिनकी सेवाएँ निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर ली जाती हैं

1. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में वह फिलहाल रखा गया हो।
2. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी और किसी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को सीधे या परोक्ष रूप से किसी आम आदमी या बैंक के कर्मचारियों को नहीं बताना होगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।
3. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा और सभी लेन-देन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा।
4. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा।
5. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा या किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।
6. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्व अनुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस में प्रकाशित नहीं करेगा या बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आने वाले किसी भी दस्तावेज़, कागज़ या सूचना को प्रकाशित नहीं करेगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
7. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा।
8. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी।
9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को प्रदान की जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा।

10. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता:

- i. किसी भी क्षेत्र में लागू मादक पेय या दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा, जिसमें वह फिलहाल मौजूद हो।
- ii. ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय या दवा के प्रभाव में नहीं रहेगा और यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का प्रदर्शन किसी भी तरह से ऐसे पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो।
- iii. किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए।
- iv. नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं दिखना चाहिए।
- v. किसी भी मादक पेय या दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए।

स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थान" शब्द में क्लब भी शामिल होंगे जो केवल सदस्यों के लिए हैं, जहाँ सदस्यों को गैर-सदस्यों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थान जहाँ जनता को प्रवेश की अनुमति है या है, चाहे भुगतान पर या अन्यथा"। किसी भी बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" का अर्थ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न और उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्दिष्ट परिस्थितियों से है।

- i. शारीरिक संपर्क और प्रगति,
- ii. शारीरिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध,
- iii. यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी,
- iv. पोर्नोग्राफी दिखाना,
- v. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण, इसके अलावा, कानून / कानूनों में लागू सभी ऐसी परिभाषा / व्याख्या।

12. यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

13. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देंगे, मांगेंगे या प्राप्त करेंगे और न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेंगे। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे या उसमें पक्ष नहीं होंगे।

14. उपरोक्त 13 का प्रावधान उसके या किसी व्यक्ति द्वारा निदान उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री को रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा।

15. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कुछ करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध को 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ समाप्त किया जा सकता है।

अनुलग्नक - III

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला में बैंक के अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ) के पद के लिए आवेदन

आवेदक के
हस्ताक्षर के साथ
नवीनतम पासपोर्ट
आकार की तस्वीर
चिपकाएँ

1. पूरा नाम: डॉ. श्री/श्रीमती/कुमारी. _____

(बड़े अक्षरों में दिया जाना है, उपनाम पहले लिखा जाना है)

2. पिता/पति का नाम: _____

3. (क) पता:

निवास स्थान	डिस्पेंसरी / अस्पताल जहां वर्तमान में काम कर रहे हैं

(b) फ़ोन नंबर: _____

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल आईडी: _____

बैंक की डिस्पेंसरी / बैंक के स्टाफ क्वार्टर से लगभग दूरी:

पता	निवास स्थान से दूरी (कि.मी. में)	वर्तमान में कार्यरत डिस्पेंसरी/अस्पताल से दूरी (कि.मी. में)
भारतीय रिज़र्व बैंक, जैक्सन गेट बिल्डिंग, द्वितीय तल, लेनिन सरणी, अगरतला - 799001		

. जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) और 01 जनवरी, 2025 तक आयु:

5. जन्म स्थान और निवास स्थान:

6. राष्ट्रीयता:

7. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित (सामान्य) से संबंधित हैं:

8. शैक्षिक योग्यता

(प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा को उच्चतम से न्यूनतम के क्रम में दर्शाएँ)

डिग्री / डिप्लोमा	विश्वविद्यालय / बोर्ड	पारित होने का वर्ष	वर्ग / रैंक

4. आवेदक द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में किसी अन्य पाठ्यक्रम का विवरण:

पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान	समापन का वर्ष

5. अनुभव का विवरण

(केवल स्नातक के बाद का अनुभव ही बताया जाना चाहिए)

अनुभव	से	को	अवधि	
			साल	महीना
अस्पताल / क्लिनिक में (चिकित्सक के रूप में)				
सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के रूप में				

5. कोई अन्य कारक जिसे आवेदक अपने आवेदन पर विचार करने के लिए ध्यान में रखना चाहे।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या झूठी है या यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी या विवरण छिपाया गया है या छोड़ दिया गया है या मैं बैंक के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता हूँ, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति / नियुक्ति बिना किसी नोटिस या इसके बदले में मुआवजे के रद्द / समाप्त की जा सकती है। मैंने विज्ञापन में दी गई शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हूँ।

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

निर्देश:

1. इस फॉर्म में सभी विवरण आवेदक द्वारा भरे जाने चाहिए।
2. जिन आवेदनों में मांगे गए पूर्ण विवरण नहीं होंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ होनी चाहिए।
4. यदि उम्मीदवार किसी संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, तो उसका विवरण और कार्य घंटे भी दर्शाए जाने चाहिए।